निर्णय व इजलास श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–46 / 2023
दायरा दिनांक :–15.06.2023
निर्णय दिनांक :– 06/12/24

उनवान

1. चौथमल आयु 54 वर्ष पुत्र गोपाल जाति धाकड़ निवासी मण्डोला तहसील व जिला बारां राजस्थान

–प्रार्थीगण

बनाम

1. पुरुषोत्तम पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी मण्डोला
2. बालकिशन पुत्र पुरुषोत्तम जाति धाकड़ निवासी मण्डोला
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओम भारद्वाज एड़0 – प्रार्थीगण
2. श्री ओम मेहता ।। एड0 – अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 06/12/24

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दावा पत्र अन्तर्गत धारा 212, राज0 टी0 एक्ट अप्रार्थी गण द्वारा इस आशय का पेश किया गया है। कि वाके माल मण्डोला की आराजी जमाबन्दी सम्वत 2075 (वर्ष 2018 से स्थायी) खाता संख्या नया 137 पुराना 133 की आराजी कुल किता 12 रकबा 9.16 हे0 स्थित है जिसमें से खसरा नं0 2355 रकबा 0.60 हे0, खसरा नं0 2365 रकबा 0.10 हे0, खसरा नं0 2370 रकबा 0.30 हे0, खसरा नं0 2380 रकबा 0.17 हे0, खसरा नं0 2385 रकबा 0.15 हे0 स्थित है जो विवादित आराजियात है। उपरोक्त विवादित आराजियात प्रार्थी की तन्हा खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात है जिस पर प्रार्थी शांतिपुर्वक काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त विवादित आराजियात के पास ही अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खेत है तथा दोनो पक्षो की आराजियात समीपस्थ स्थित होने के कारण दोनो पक्षो में आराजियात को लेकर सीमा विवाद बना रहाता है तथा कई बार उपरोक्त आराजियात को लेकर लडाई–झगडे की स्थिति बनी रहती है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थी की मेड तोडकर जबरन प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात को अपने खेतो में मिलाने का प्रयास करते है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते की आराजियात व अप्रार्थे क्रम 1 व 2 क आराजियात के सीमा विवाद के निस्तारण हेतु राजस्व टीम से पैमाईश करवाकर अपने खाते की आराजी पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेत पास होने से अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजियात की मेड को तोडकर अपने खेतों में मिलाने का प्रयास करते है तथा प्रार्थी की आराजियात पर कब्जा करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण राजनैतिक रसूख वाले प्रभावशाली तथा गांव के दंबग व्यक्ति है तथा प्रार्थी शांतिप्रिय नागरिक है यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी पर कब्जा करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को गंभीर आर्थिक क्षति होगी इस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नालिशी है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से कई मर्तबा तहसील में चलकर दोनो पक्षों की आराजियात की पैमाईश करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट रुप से इंकार कर दिया तथा कहा कि पटवारी खेतों के बारे में क्या जानता है इस पर प्रार्थी द्वारा तहसीलदार साहब बारां से

उपखण्ड अधिकारी
वारॉं

दोनो पक्षों की आराजियात की पैमाईश करवाने का निवेदन किया तो उनके द्वारा असमर्थता जाहिर की तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने पर तथा अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट रुप से इंकार करने के कारण वाद कारण अंतिम रुप से दिनांक 07.06.2023 को बमुकाम बारां में उत्पन्न हुआ है जो लगातार जारी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आणारित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन मुद्रा में किया जाना संभव नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना/पत्र वाद पत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित आराजियात की तथा अप्रार्थीगण की आराजियात की राजस्व टीम गठित कर पैमाईश कर पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किये जावें तथा ताफैसला वाद अप्रार्थीगण का जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात में किसी प्रकार की दखलअदांजी न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावें हेतु निवदेन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी का जर्ये सम्मन तलव किया गया। प्रार्थीगण की ओर से नकल जमाबन्दी ग्राम मण्डोला सम्वत 2070–2073 खाता संख्या नया 137 पुराना 133 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मण्डोला तह0 बारां में स्थित है जमाबन्दी सम्वत 2075 (वर्ष 2018 से स्थायी) खाता संख्या नया 137 पुराना 133 की आराजी कुल किता 12 रकबा 9.16 हे0 स्थित है जिसमें से खसरा नं0 2355 रकबा 0.60 हे0, खसरा नं0 2365 रकबा 0.10 हे0, खसरा नं0 2370 रकबा 0.30 हे0, खसरा नं0 2380 रकबा 0.17 हे0, खसरा नं0 2385 रकबा 0.15 हे0 स्थित है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खेत है तथा दोनो पक्षो की आराजियात समीपस्थ स्थित होने के कारण दोनो पक्षो में आराजियात को लेकर सीमा विवाद बना रहाता है तथा कई बार उपरोक्त आराजियात को लेकर लडाई–झगडे की स्थिति बनी रहती है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थी की मेड तोडकर जबरन प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात को अपने खेतो में मिलाने का प्रयास करते है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते की आराजियात व अप्रार्थे क्रम 1 व 2 क आराजियात के सीमा विवाद के निस्तारण हेतु राजस्व टीम से पैमाईश करवाकर अपने खाते की आराजी पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना/पत्र वाद पत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित आराजियात की तथा अप्रार्थीगण की आराजियात की राजस्व टीम गठित कर पैमाईश कर पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किये जावें तथा ताफैसला वाद अप्रार्थीगण का जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात में किसी प्रकार की दखलअदांजी न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 1 में आराजियात होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 में खातेदार होना स्वीकार है प्रार्थी की जमीन पर प्रार्थी काश्त कर रहा है अप्रार्थीगण अपने खाते की एवं अप्रार्थी क्रम 1 की पत्नी व अप्रार्थी क्रम 2 की मां रामजानकी बाई के हिस्से पर भी शांतिपूर्वक काश्त कर रहै है अप्रार्थी कोई दखलंअदाजी नही कर रहे है प्रार्थी द्वारा गलत रुप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की आराजियात के पास अप्रार्थी क्रम 1 व उसकी पत्नी रामजानकी बाई के खाते की जमीन है अप्रार्थी क्रम 2 के खाते की कोई आराजियात नही है गलत रुप से उसे पक्षकार बनाया गया है कोई सीमा विवाद नही है न कभी कोई लडाई–झगडा हुआ न कोई विवाद हुआ फिर भी प्रार्थी अगर टीम गठित कर अपने

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

खाते की एवं अप्रार्थी क्रम 1 व उसकी पत्नी रामजानकी बाई की आराजियात की पैमाईश अपने खर्चे पर पैमाईश कराना चाहता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थी गण द्वारा कोई मेड नही तोडी गई न मेड तोडने का प्रयास किया गया मनगढन्त तथ्य अंकित किया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 5 जिस प्रकार से लिखी गई है गलत व अस्वीकार है कभी भी प्रार्थी अप्रार्थीगण के मध्य कभी भी कोई बात नही हुई न कभी प्रार्थी द्वारा तहसील में चलने के लिये कहा नही दिनांक 06.07.2023 को किसी भी प्रकार की प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कोई बातचीत हुई मनगढन्त तथ्य अंकित किये गये है। प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित नही है न ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है।

1. प्रथम दृष्टया – प्रथम दृष्टया मामला ठोस तथ्यों पर आधारित नही है। क्योकि प्रार्थी की मेड तोडकर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात को अपने खेतों मे मिलाने का प्रयास करते है। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा करने हेतु कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया है।
2. सुविधा का सन्तुलन – प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजियात पर जबरन कब्जा किया गया हो। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है।
3. अपूर्णनीय क्षति – प्रार्थी विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त कर रहा है। अप्रार्थीगण अपने खाते की भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर रहै है। प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किये गये कि जिससे यह साबित वो सकें कि अप्रार्थी गण प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर दखलअंदाजी कर रहै हैं। यह प्रार्थी द्वारा स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की संम्भावना नही है प्रार्थी को स्थगन आदेश की आवश्कता प्रतीत नही होती है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक–आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखा जाकर सरे इनलास सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

खसरा नं0 2380 रकबा 0.17 हेक्टे0 खसरा नं0 2385 रकबा 0.15 हेक्टे